हिन्दुस्तान 03-12-14

इंदिरा आवास में छत ढालने के लिए मिलेंगे 30 हजार

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

पैसे के अभाव में इंदिरा आवास योजना के तहत छत नहीं ढालने वालों को राज्य सरकार अपने संसाधन से 30 हजार उपलब्ध कराएगी। यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनको एक अप्रैल 2004 के पहले इंदिरा आवास का आवंटन हुआ है। साथ ही वे अनुसूचित जाति/जनजाति तबके से आते हों।

राज्य सरकार मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के तहत लाभुकों को यह सुविधा उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को सूबे के सभी उप विकास आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने इस बाबत आवश्यक निर्देश दिए। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, इसकी सूची जिलों से मंगाई जा रही है। जनवरी 2015 तक विकास आयुक्तों को काम पूरा करने को कहा गया। बैठक में मंत्री ने कहा कि मनरेगा, इंदिरा आवास सहित अन्य विभागीय योजनाएं चल रही हैं। विशेष सर्वे कर छूटे हुए लाभुकों को चिह्नित कर उन तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है। वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिले, इसके लिए समाचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करवाया जाए। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाई जाए। सचिव एसएम राजू ने कहा कि 15 दिसंबर तक 60 प्रतिशत राशि खर्च की जाए। 16 दिसंबर को होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी रिपोर्ट दें।

सुविधा

- एससी-एसटी को अपने संसाधन से राशि देगी सरकार
- पैसे के अभाव में आवास का निर्माण न पूरा कराने वालों के लिए योजना
- विकास कार्यों में तेजी लाकर लक्ष्य को पूरा करें : नीतीश मिश्र